न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0–738 / 2020 दायर दिनांक 04.08.2020

जीसीएमएस आई0डी0–2020 / 00159

धनराज उम्र 55 साल पुत्र नथोली जाति मीना निवासी झारेडा तहसील हिण्डोन सिटी जिला करौली राज0

– सायल

बनाम

प्रकाश उम्र 35 साल पुत्र सूखा जाति मीना निवासी झारेडा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राज0

–गैरसायल

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः–1. श्री अशोक नीमनका वकील सायल

2. गैरसायलान स्वयं उपस्थित

निर्णय दिनांकः– 3-3-25

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि आराजी खसरा न0 1708 रकबा 19 ऐयर स्थित ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन सायल की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। उक्त खसरा न0 से लगवा बतरफ पूर्व खसरा न0 1710 रकबा 30 ऐयर स्थित ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन सायल एवं गैरसायल स0 1 एवं दावे के प्रतिवादीगण की सहखातेदारी का स्थित है। उक्त खसरा न0 1710 में सायल का 1 / 8 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है।

सायल ने आराजी खातेदारी के खेत खसरा न0 1708 रकबा 19 ऐयर एवं सहखातेदार के खेत खसरा न0 1708 रकबा 30 ऐयर के 1 / 8 हिस्सा अर्थात 23 ऐयर का मौके पर एक ही बनाया हुआ है। एवं 20 सौ साल से साल दर साल इसी प्रकार काश्त करता चला आ रहा है। एवं इसी प्रकार बंटवारा कराने का मुस्तहक है।

वाका दिनांक 12.07.2020 को सायल अपने कब्जे शुदा खेत में तारबंदी कर रहा था कि गैरसायलान मौके पर आ ग[illegible] कहने लगा कि तुम यहा होकर बाउण्ड्री नहीं बना सकते। जिस पर [illegible] समझाने का भरसक प्रयास किया कि जब अन्य खातेदारान को कोई ऐतराज नहीं है। तो [illegible] क्या ऐतराज है। तो गैरसायल ने स्पष्ट कहा कि उक्त खसरा न0 1710 में से तुम्हे कुछ नहीं मिलेगा। बल्कि तुम्हारे पास जो खसरा न0 1710 का 4 ऐयर रकबा है। वो तुम

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:51:36 IST
Reason: SelfAttested

वापिस करेगे। सायल ने गैरसायल को समझाने का भरसक प्रयास किया मगर वे किसी की एक मानने को तैयार नहीं है। शेष दावे के प्रतिवादी दावा बाबत तकासमा के आवश्यक पक्षकार की हैसियत रखते है। इसलिये पक्षकार दावे में बनाया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायल को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला मुकदमा पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायल सायल की खातेदारी के खेत खसरा न0 1708 रकबा 19 ऐयर सम्पूर्ण एवम खेत खसरा न0 1710 रकबा 30 ऐयर के 1/8 हिस्से से सायल को बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे। सायल की डोल मैड को नहीं तोडे। सायल को फसल की सुरक्षा बाबत तारबंदी करने से नहीं रोके। सायल के कब्जे काश्त में कोई मजाहमत मदाखलत व व्यवधान पैदा नहीं करे। रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायल स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया जो निम्नानुसार है:-

गैरसायल प्रकाश पुत्र सुका पर धनराज पुत्र नथौली ने दिनांक 12.07.2020 को पुलिस मुकदमा करके धनराज पुत्र नथौली ने खेत की तारबंदी करली है। जबकि विपक्ष में प्रकाश ने कोई मुकदमा नहीं किया और नाही तारबंदी करने का विरोध किया था 12.07.2020 से तारबंदी की हुई है। नथौली पुत्र जौहरी व सुका पुत्र भौरया दोनो चचेरे भाई थे दोनो के जमीन बराबर-बराबर नामांतकरण हो चुका है। दोनो के नामांतकरण को रामचरण, जगदीश, प्रकाश पुत्र सुका व शिवचरण, गिर्राज, धनराज पुत्र नथौली के नाम खोलने की कृपा करे। नथोली, सूका के नाम पर कृषि विद्युत कनेक्शन है। कनेक्शन पर धनराज पुत्र नथौली कब्जा किये हुऐ है। विद्युत कनेक्शन पर रामचरण, जगदीश, प्रकाश को आधा हिस्सा दिलवाने का निवेदन किया है।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए अपने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल खसरा गिरदावरी रबी संवत 2076 वाके ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:51:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस [illegible] तथा पत्रावली का अवलोकन किया, वकील सायलान ने अपने बहस [illegible] में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि दौराने दाव[illegible]रसायल को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला मुकदमा पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायल सायल की खातेदारी के खेत खसरा न0 1708 रकबा 19 ऐयर सम्पूर्ण एवम खेत खसरा न0 1710 रकबा 30 ऐयर के 1/8 हिस्से से सायल को बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करने। सायल

की डोल मैड को नही तोडने। सायल को फसल की सुरक्षा बाबत तारबंदी करने से नहीं रोकने। सायल के कब्जे काश्त में कोई मजाहमत मदाखलत व व्यवधान पैदा नहीं करने। रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखने का निवेदन किया। गैरसायल ने अपने बहस कथन में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि सायल द्वारा तारबंदी दिनांक 12.07.2020 से की हुयी है।, खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि खसरा गिरदावरी रबी संवत 2076 वाके ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन के सायल व गैरसायलान सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन सहखातेदारो के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा होकर पृथक पृथक खाता व लगान कायम नहीं हो जावे।ऐसी स्थिति में रिकोर्डेड सहखातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है।इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस सायल के पक्ष में साबित नही होता है और ना ही सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में नजर आता है। बल्कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से फैसला दावा पाबन्द किये जाने पर गैरसायलान जो कि विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं कब्जा काश्त पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है।इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान अस्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है । पत्रावली फै[illegible] होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के [illegible]

निर्णय आज दिनांक 3/3/25 को [illegible]खाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:51:36 IST
Reason: SelfAttested